

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00055

प्रकरण दर्ज दिनांक-28.05.2018

श्री हरिश कुमार वैद्य व श्रीमति चेतना वैद्य विरुद्ध मे. सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन, रायपुर
प्रोजेक्ट- हर्ष भूमि, ग्राम-दोंदेखुर्द, रा.नि.म.-धरसीवा, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर																				
15/06/2018	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्रकरण में आवेदकगण श्री हरिश कुमार वैद्य व श्रीमती चेतना वैद्य स्वतः उपस्थित।</p> <p>- अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री मनीष श्रीवास्तव के माध्यम से उपस्थित।</p> <p>- प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण द्वारा अनावेदक के ग्राम-दोंदेखुर्द, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "हर्ष भूमि" में प्लॉट नं.- 29 हेतु कीमत रुपये 3,14,775/- एवं इसके रजिस्ट्री खर्च हेतु रुपये 90,138/- अर्थात् कुल राशि रुपये 4,04,913/- का भुगतान अनावेदक को करना बताया गया। साथ ही कथन किया गया कि उक्त राशि देने के बाद भी अनावेदक द्वारा टालमटोल करते हुए प्रश्नाधीन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। आवेदकगण ने प्रश्नाधीन प्लॉट के विरुद्ध अनावेदक को दी गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>- प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जिसमें अनावेदक द्वारा विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त राशि ब्याज सहित लौटाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई।</p> <p>- उभय पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनावेदक द्वारा आवेदक से प्रश्नाधीन प्लॉट के सौदे हेतु प्राप्त सम्पूर्ण राशि रुपये 4,04,913/- एवं ब्याज की राशि रुपये 40,000/- निम्नानुसार लौटाये जाने का उल्लेख है :-</p> <table border="1" data-bbox="332 1765 1214 1998"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th> <th>चेक नंबर</th> <th>राशि</th> <th>बैंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.06.2018</td> <td>000786</td> <td>3,14,775/-</td> <td>बैंक ऑफ बड़ोदा</td> </tr> <tr> <td>14.06.2018</td> <td>नगद</td> <td>90,138/-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.06.2018</td> <td>000785</td> <td>40,000/-</td> <td>बैंक ऑफ बड़ोदा</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल राशि</td> <td>4,44,913/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	दिनांक	चेक नंबर	राशि	बैंक	14.06.2018	000786	3,14,775/-	बैंक ऑफ बड़ोदा	14.06.2018	नगद	90,138/-		14.06.2018	000785	40,000/-	बैंक ऑफ बड़ोदा		कुल राशि	4,44,913/-		
दिनांक	चेक नंबर	राशि	बैंक																			
14.06.2018	000786	3,14,775/-	बैंक ऑफ बड़ोदा																			
14.06.2018	नगद	90,138/-																				
14.06.2018	000785	40,000/-	बैंक ऑफ बड़ोदा																			
	कुल राशि	4,44,913/-																				

Gum





छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00055

प्रकरण दर्ज दिनांक-28.05.2018

श्री हरिश कुमार वैद्य व श्रीमति चेतना वैद्य विरुद्ध मे. सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन, रायपुर
प्रोजेक्ट- हर्ष भूमि, ग्राम-दोंदेखुर्द, रा.नि.म.-धरसीवा, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
क्रमांक: 15/06/2018	<p>- आवेदकगण ने भी सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त करने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है।</p> <p>- प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा होने तथा आवेदकगण द्वारा वांछित राशि वापस प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।</p> <p>- उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p> (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p> (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	<p> 15/6/18 Chandra</p> <p> 15/6/18</p>